छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 846/2007</u>

1. **श्री जयमलराम,** - *शिकायतकर्ता*
वल्द श्री दिलबन्धु चीक,
ग्राम-चिडोरा, थाना-कांसाबेल,
तहसील-बगीचा,
जिला- जशपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/* - *अनावेदक*
कार्यपालन दण्डाधिकारी,
पोस्ट- कांसाबेल,
जिला- जशपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 24 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री जयमलराम ने जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 06.09.2007 को जन सूचना अधिकारी/कार्यपालन दण्डाधिकारी तहसीलदार, कांसाबेल, जिला-जशपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 15.11.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई । प्रकरण में समयावधि में जानकारी नही देने के कारण विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया । साथ ही शिकायतकर्ता को धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत राशि 200/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार, कांसाबेल द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि पूर्व में आवेदक को सूचना दी गई थी, किन्तु वे उपस्थित नही हुये और नोटिस लेने से भी इंकार किया गया, जिनके पक्ष में कोटवार, सरपंच और तामिलकर्ता की टीप संलग्न की है तथा आवेदक को 26 पृष्ठ की जानकारी दिनांक 04.02.2008 को निःशुल्क प्रदान की गई और क्षतिपूर्ति की राशि 200/- रूपये का भुगतान भी दिनांक 06.05.2008 को कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व प्रभारी

तहसीलदार को उत्तरदायी होना बताया है । उपरोक्त स्थिति में जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु भविष्य के लिए जन सूचना अधिकारी को समयावधि में आवेदन का निराकरण करने के लिए निर्देश भी दिये जाते हैं । चूंकि प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नही है, अतः उक्त शिकायत प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त